तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कजोड बनाम टुण्डा 232/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2021	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में एक ओर पत्रावली संख्या 231/2020 विचाराधीन है जो हस्तगत पत्रावली के समान विषयवस्तु की होने के कारण पत्रावली संख्या 231/2020 को भी हस्तगत पत्रावली संख्या 232/2020 के साथ शामिल किया जाता है। संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा द्वितीय अपील संख्या 5728/2015 उनवानी कजोड वगैराह बनाम टुण्डा वगैराह में निर्णय दिनांक 20.05.2016 से अपील स्वीकार कर राजस्व अपील अधिकारी कैम्प दौसा के निर्णय दिनांक 13.08.2015 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 28.02.2012 तथा आराजी खसरा नम्बरी 58 रकबा 10 बीघा के आवंटन आदेश दिनांक 03.01.1970 को निरस्त किये जाने पर उक्त निर्णय के विरूद्ध टुण्डा दतक पुत्र श्री महादेव द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में डीबी सिविल स्पेशल रिट याचिका संख्या 354/2018 उनवान टुण्डा बनाम कजोड पेश की गई। उक्त याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा दिनांक 19.08.2019 को आदेश पारित किया गया है कि "In these circumstances and withot going into the facts, the impugned order and order of the board of revenue are hereby set aside. the matter is remitted to the revenue appellate authority which shall now enquire into the facts and after satisfying itself pass appropriate orders in accordance with law, after taking into consideration all circumstances including the marerial placed on the record. the determination shall de complated expeditiously in any case within six months from today." दिनांक 24.07.2020 को प्रार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 11/2020 वर्तमान 232/2020 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी मय प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 13.08.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में पुनः अपील दर्ज कर आगामी कार्यवाही की जाये। इसी प्रकार प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण कजोड वगैराह द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 12/2020 वर्तमान 231/2020 प्रस्तुत कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा रिट याचिका संख्या 354/2018 में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2015 की पालना किये जाने का निवेदन किया गया। दोनो प्रार्थना पत्रो की विषयवस्तु समान होने के कारण हमफिता किया गया। अतः एक ही आदेश से प्रार्थना पत्रो का निस्तारण किया जाता हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उक्त दोनो प्रार्थना पत्रो के माध्यम से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2015 की पालना में समुचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी को पुनः प्रेषित कर समुचित विधिक आदेश पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये है। क्षैत्राधिकार परिवर्तन हो जाने से प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त हुए है।	

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कजोड बनाम टुण्डा 232/2020	नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म पर तामील में जारी हुए
	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के निर्णय दिनांक 13.08.2015 की अनुपालना में न्यायालय हाजा में अपील दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्ष की सुनवाई पश्चात समुचित आदेश पारित किया जाना अपेक्षित है। अतः दोनो प्रार्थना पत्रो को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के निर्णय दिनांक 13.08.2015 की पालना में आगामी कार्यवाही किये जाने की हद तक स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्रो का निस्तारण किया जाता हैं। न्यायालय हाजा में अपील उनवानी कजोड वगैराह बनाम टुण्डा वगैराह दर्ज की जाये तथा उभय पक्षकारो को अदालती नोटिस जारी किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रार्थना पत्रान संख्या 11/20 वर्तमान 232/2020 तथा 12/2020 वर्तमान 231/2020 की पत्रावलियां अपील के निर्णय तक अपील पत्रावली के संलग्न रखी जाये तथा बाद निर्णय नियमानुसार दखित दफतर हो। (सेवा राम स्वामी) अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	

Scanned by CamScanner

2020/00095

2020/00360

Read
AK
24/7/20

न्यायालयः— भू— प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प लालसोट 12/20

1. कजोड 2. पांचू	पि0 लोहडीराम	समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम गोपालपुरा
3. श्योराम 4. नरसी	पि0 जयनारायण	तह0 रामगढ पचवारा जि0— दौसा (राज0)

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. टुण्डा पुत्र हीरा कथित कल्पित टुण्डा पुत्र महादेव जाति मीना निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार रामगढ पचवारा जि0 दौसा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र बाबत् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 स्पेशल अपील (रिट) संख्या 354/2018 में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2019 की पालना हेतु

मान्यवर जी,

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील (रिट) संख्या 354/2018 में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2019 की पालना में प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नांकित प्रकार प्रस्तुत हैः—

यह है कि संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (संक्षेप में अधिनियम 1956) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत

कजोड़ श्योराम नरसी पांचूराम

Scanned by CamScanner